



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर पोक्सो एक्ट में अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कुरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0- 41/2020 धारा-377,504,506 भा0द0सं0 व 3(2)5,3(2)5a,3(1)द/ध एससीएसटी एक्ट व 06 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय गैगस्टर कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा अभियुक्त जयपाल पुत्र परमा कुशवाहा निवासी ककरऊ थाना कुरारा जनपद हमीरपुर को धारा-06 पोक्सो एक्ट के अपराध में 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी अवध नरेश
चन्देल



विवेचक-
क्षेत्राधिकारी अनुराग
सिंह



पैरोकार- थाना
कुरारा
का0 ब्रजेश कुमार